बिहार सकरार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-06/2015 पटना, दिनांक-

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, गया, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर(भभुआ), नालंदा, जहानाबाद, अरवल, नवादा, सिवान, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), प०चम्पारण (बेतिया), सितामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए आवंटन के संबंध में। कुल आवंटित राशि रू० 4,44,73,133/-(चार करोड़ चौवालीस लाख तीहत्तर हजार एक सौ तेतीस) रूपये मात्र।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-3429 दिनांक- 01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015 स्वीकृत हो चुका है।

2. कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- P/3454022050101 है।
4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 39 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः उप निदेशक(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना एवं संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंब्न, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-3429 दिनांक-01.04.2015 तथा वित्त विभाग के पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.15 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

9. स्वीकृतादेश संख्या-1901 दिनांक 07.12.15 के आलोक में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से महिला सशक्तिकरण नीति के तहत् शत्-प्रतिशत् जन्म रजिस्ट्रीकरण हेतु स्वीकृत योजना एवं व्यय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही राशि विकलनीय है।

विश्वासभाजन
ह०/

निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक- दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक

ज्ञापांक- दिनांक-

प्रतिलिपि:- 1. कोषागार पदाधिकरी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना
2. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक

ज्ञापांक- 27 दिनांक- 04-01-2016

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)
2. संयुक्त निदेशक(योजना), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), बिहार, पटना
3. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन प्रसाद सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड कर दें।

4/1/2016

निदेशक

आवंटन विवरणी

मुख्य षीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 का आवंटन विवरणी। जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-**P/3454022050101** है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटित दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	600000	245000	3164053	4009053
	जिला सांख्यिकी कार्यालय				
2	पटना	30000	-	1958080	1988080
3	गया	30000	-	1630660	1660660
4	बक्सर	30000	-	670320	700320
5	भोजपुर	30000	-	986780	1016780
6	औरंगाबाद	30000	-	955320	985320
7	रोहतास	30000	-	1154140	1184140
8	कैमूर(भभुआ)	30000	-	600100	630100
9	नालंदा	30000	-	1158680	1188680
10	जहानाबाद	30000	-	429560	459560
11	अरवल	30000	-	267660	297660
12	नवादा	30000	-	924780	954780
13	सीवान	30000	-	1264940	1294940
14	सारण	30000	-	1548120	1578120
15	गोपालगंज	30000	-	1024620	1054620
16	मुजफ्फरपुर	30000	-	1746940	1776940
17	पूर्वी चम्पारण	30000	-	1861840	1891840
18	प०चम्पारण	30000	-	1491120	1521120
19	सितामढ़ी	30000	-	1283640	1313640
20	शिवहर	30000	-	238500	268500
21	वैशाली	30000	-	1317380	1347380
22	दरभंगा	30000	-	1519860	1549860

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटित दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6
23	मधुबनी	30000	-	1689020	1719020
24	समस्तीपुर	30000	-	1661200	1691200
25	मुंगेर	30000	-	573200	603200
26	लखीसराय	30000	-	397640	427640
27	शेखपुरा	30000	-	253080	283080
28	जमुई	30000	-	698600	728600
29	बेगूसराय	30000	-	1094840	1124840
30	खगड़िया	30000	-	619240	649240
31	भागलपुर	30000	-	1059740	1089740
32	बांका	30000	-	784320	814320
33	सहरसा	30000	-	715020	745020
34	सुपौल	30000	-	843600	873600
35	मधेपुरा	30000	-	830840	860840
36	पूर्णियाँ	30000	-	1231660	1261660
37	किशनगंज	30000	-	681260	711260
38	अररिया	30000	-	976740	1006740
39	कटिहार	30000	-	1181040	1211040
	कुल योग	**1740000**	**245000**	**42488133**	**44473133**

(चार करोड़ चौवालीस लाख तिहत्तर हजार एक सौ तेतीस)रू०मात्र

11.1.2016

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

11/1/16